राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 995/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जय प्रकाश हरवानी एच-676] एम.आई.ए. द्वितीय फेज] बासनी जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी विधि एंव विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 26-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बी. एस. नन्दवाना, उप सचिव उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-08-2017 के द्वारा श्रीमती ढाकी बाई बेबा माधवदासपुर मुआवजा एवं पुर्नवास के क्लेम के संबंध में एक लगायत 11 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 31-10-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन का विनिश्चय पत्र दिनांक 04-10-2017 से प्रेषित किया जा चुका है। आवेदन अस्वीकार किया गया है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 31-10-2017 से खारिज की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। पत्र दिनांक 04-10-2017 व प्रथम अपील निर्णय दिनांक 31-10-2017 पत्रावली पर संलग्न है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है वह एक परिवेदना है। सूचना जो रिकार्ड में उपलब्ध होती है वह ही दी जा सकती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने स्पष्ट विनिश्चय किया है जिसकी पुष्टि प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा की गई है, जो विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त